पुनरीक्षण सिविल

न्यायधीश प्रेम चंद पंडित के समक्ष

अमरजीत सिंह-याचिकाकर्ता।

बनाम

सरोज मलिक-प्रतिवादी।

1970 का सिविल संशोधन संख्या 1239।

7 अप्रैल, 1971।

मध्यस्थता अधिनियम (1940 का एक्स) - धारा 34 - "मुकदमे में कार्यवाही में एक कदम।" - का अर्थ - लिखित बयान दर्ज करने के लिए स्थगन के लिए प्रतिवादी द्वारा अनुरोध - क्या यह इस तरह के कदम के बराबर है - सिविल प्रक्रिया संहिता - के दौरान (1908 का अधिनियम V) - आदेश 5, नियम 2 - प्रतिवादी को एक समाचार-पत्र में उद्धरण द्वारा प्रतिस्थापित सेवा प्रदान की गई - क्या यह आदेश 5, नियम 2 का पर्याप्त अनुपालन है?

यह निर्धारित किया गया कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 में "मुकदमे में कार्यवाही में एक कदम" का क्या मतलब है, इसकी सटीक परिभाषा देना संभव नहीं है। यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। जो बात ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि यदि प्रतिवादी जानता है कि उसके खिलाफ मामला क्या है और उस ज्ञान के साथ, वह मुकदमे में लिखित बयान दर्ज करने के लिए स्थगन मांगता है, तो यह उचित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है यह "मुकदमे की कार्यवाही में एक कदम" होगा। (पैरा 9).

यह निर्धारित किया गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5, नियम 2 में कहा गया है कि प्रत्येक सम्मन के साथ वादपत्र की एक प्रति या यदि अनुमति हो तो एक संक्षिप्त विवरण संलग्न किया जाएगा। यह प्रावधान ऐसी स्थिति पर विचार करता है, जहां वादपत्र की एक प्रति प्रतिवादी को देना जरूरी नहीं है। यह पर्याप्त होगा यदि उसे तथ्यों का एक संक्षिप्त विवरण उपलब्ध करा दिया जाए। जहां एक प्रतिवादी को समाचार-पत्र में एक उद्धरण के माध्यम से प्रतिस्थापित सेवा प्रदान की जा रही है, तो यह वैध रूप से माना जा सकता है कि संपूर्ण वाद-पत्र पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा और यदि उसका संक्षिप्त विवरण दिया जाएगा तो उसमें दिया गया आदेश 5, नियम 2, सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त होगा। (पैरा 9).

धारा 115 सी.पी.सी. के तहत याचिका, श्री जोगिंदर सिंह मंदर जिला न्यायाधीश, चंडीगढ़ की अदालत के 4 नवंबर, 1970 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए, श्री के.डी. मोहन, वरिष्ठ उप न्यायाधीश, चंडीगढ़ के 7 जुलाई, 1970 के आदेश की पुष्टि करते हुए, याचिका को खारिज कर दिया गया। .

मोहिंदर जीत सिंह सेठी, वकील, याचिकाकर्ता के लिए।

आर. के. ए. अग्रवाल, वकील, और के. आर. महाजन, वकील प्रतिवादी के लिए ।

निर्णय

न्यायधीश पंडित.- श्रीमती सरोज मालिक ने अमरजीत सिंह को बूथ संख्या 55, सेक्टर 19 सी चंडीगढ़ से निकलने के लिए मुकदमा दायर किया था। अमरजीत सिंह ने मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 34 के तहत एक याचिका दायर की, जिसमें प्रार्थना की गई कि मुकदमे की कार्यवाही रोक दी जाए, क्योंकि उनके और श्रीमती शकुंतला रानी, जो की संपति की पुरानी मालिक थी, के बीच एक समझौता हुआ था, कि ऐसा मामला मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। सरोज मलिक ने शकुंतला रानी से संपत्ति खरीदी थी और इसलिए, वह उस समझौते से बंधी हुई थी।

(2) इस याचिका का सरोज मलिक ने यह कहते हुए विरोध किया था कि प्रतिवादी ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 में याचिका दायर करने से पहले मुकदमे की कार्यवाही में कदम उठाए थे और, इसलिए, मुकदमे पर रोक नहीं लगाई जा सकती।

(3) इस आशय का एक प्रारंभिक मुद्दा तैयार किया गया था - "क्या प्रतिवादी-आवेदक ने इस याचिका को दायर करने से पहले मुकदमे में कार्यवाही में कदम उठाए थे;" यदि ऐसा है तो इसका प्रभाव ?"

(4) वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश और विद्वान जिला न्यायाधीश, चंडीगढ़, दोनों ने इस मुद्दे को सरोज मलिक के पक्ष में पाया है और मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रतिवादी की याचिका को खारिज कर दिया है। प्रतिवादी यहां पुनरीक्षण में आया है।

(5) तथ्य विवादित नहीं हैं। मुकदमे में सबसे पहले प्रतिवादी को 17 मार्च, 1970 के लिए समन जारी किया गया था। लेकिन चूंकि उस तारीख के लिए उस पर कोई तामील नहीं हुई थी, इसलिए वादी ने आदेश 5, नियम 20, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत एक आवेदन दायर किया कि प्रतिवादी को प्रतिस्थापित सेवा प्रदान की जाए। 16 अप्रैल, 1970 के लिए प्रतिस्थापित सेवा, फिर प्रतिवादी पर एक स्थानीय समाचार पत्र, मेल मिलाप में नाम उद्धृत करके लागू की गई। यह उद्धरण 13 अप्रैल, 1970 के अखबार में छपा। याचिकाकर्ता का मामला है कि 14 और 15 अप्रैल, 1970 को छुट्टियाँ थीं और इन दो दिनों में न्यायालय बंद था। याचिकाकर्ता 16 अप्रैल, 1970 को, जो मामले में तय की गई तारीख थी, अपने वकील के साथ ट्रायल जज के समक्ष उपस्थित हुआ और लिखित बयान दाखिल करने के लिए स्थगन का अनुरोध किया। इस उद्देश्य के लिए मामले को 21 अप्रैल, 1970 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। उस तारीख को, लिखित बयान दाखिल करने के बजाय, याचिकाकर्ता ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत याचिका दायर की। जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, इस याचिका को वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश और विद्वान जिला न्यायाधीश दोनों ने खारिज कर दिया था और इस मामले में निर्णय के लिए एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या इस मामले की परिस्थितियों में याचिकाकर्ता के वकील द्वारा 16 अप्रैल को 1970 को एक लिखित बयान दाखिल करने के लिए स्थगन का अनुरोध, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 में इस अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर "मुकदमे में कार्यवाही में एक कदम" था।

(6) विद्वान वकील ने आग्रह किया कि याचिकाकर्ता द्वारा उन्हें वादपत्र की प्रति नहीं दी गई, इसलिए उनके वकील ने स्थगन की मांग की। लिखित बयान दाखिल करने के लिए स्थगन प्राप्त करना उसकी ओर से एक सचेत कार्य नहीं था, बल्कि यह एक प्रकार का नियमित अनुरोध था ताकि वह अपने खिलाफ मुकदमे की प्रकृति को जान सके और फिर मामले में निर्धारित अगली तारीख पर उचित कार्यवाही ले सके। अपने निवेदन के समर्थन में, वकील ने

कई प्राधिकारियों का हवाला दिया; उदाहरण के लिए, मेसर्स प्रेम नाथ-प्राण नाथ बनाम अम्बा पार्षद[1], पंजाब राज्य बनाम मोजी राम[2], और नूरुद्दीन अब्दुलहुसेन बनाम अबू अहमद अब्दुल जल्ली[3] ।

(7) दूसरी ओर, प्रतिवादी के वकील ने दौलत राम-राला राम बनाम पंजाब राज्य[4],अब्दुल कुद्दूस दोस्त मोहम्मद मोमिन और अन्य बनाम अब्दुल गनी अब्दुल रहमान और अन्य[5] और द करनानी इंडस्ट्रियल बैंक लिमिटेड बनाम सत्य निरंजन शॉ और अन्य[6], का इस विचार के लिए हवाला दिया कि लिखित बयान देने के लिए स्थगन की प्रार्थना "मुकदमे की कार्यवाही में एक कदम है।" तत्काल मामले में कोई आवेदन नहीं।

(9) वर्तमान मामले में, यह सामान्य आधार है कि इस मुकदमे को शुरू करने से पहले वादी-प्रतिवादी द्वारा याचिकाकर्ता को एक पंजीकृत नोटिस जारी किया गया था। चंडीगढ़ में, चूंकि पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम लागू नहीं है; निष्कासन का कोई आधार उल्लेख नहीं किया जाना था। बस जरूरत इस बात की थी कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 106 के तहत एक उचित नोटिस देकर किरायेदारी को समाप्त कर दिया जाए और पंजीकृत नोटिस उक्त धारा के तहत एक हो। स्थानीय अखबार, मेल मिलाप में छपे उद्धरण से पता चला कि बूथ संख्या 55 से निष्कासन और रुपये की वसूली के लिए भी मुकदमा दायर किया गया है। सरोज मलिक द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ किराए के रूप में 95 रुपए का मामला लाया गया था। इन तथ्यों से, कोई भी तर्कसंगत रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी द्वारा दायर किए गए मुकदमे की प्रकृति को जानता था। इसके अलावा, जब वह 16 अप्रैल, 1970 को अपने वकील के साथ अदालत में उपस्थित हुए, तो उन्होंने वादी से वाद की प्रति नहीं मांगी, शायद इसलिए क्योंकि वह जानते थे सूट किस बारे में था। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, चंडीगढ़ में किरायेदार को बेदखली के आधार के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किराया प्रतिबंध अधिनियम इस जगह पर लागू नहीं होता है। इसलिए, इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, उनके वकील ने लिखित बयान दाखिल करने के लिए मामले को स्थगित करने के लिए कहा। तब स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि वह केवल यह जानना चाहता था कि उसके मुवक्किल के खिलाफ मामला क्या था ताकि वह सुनवाई की अगली तारीख पर उचित कार्यवाही कर सके जिसके लिए उसने स्थगन का दावा किया था। आदेश 5, नियम 2, सिविल प्रक्रिया संहिता, कहती है कि प्रत्येक सम्मन के साथ वादपत्र की एक प्रति या यदि अनुमति हो तो एक संक्षिप्त विवरण संलग्न किया जाएगा। यह प्रावधान ऐसी स्थिति पर विचार करता है जहां वादी की एक प्रति प्रतिवादी को देना जरूरी नहीं है। यह पर्याप्त होगा यदि उसे तथ्यों का एक संक्षिप्त विवरण प्रदान किया जाए। जब याचिकाकर्ता को, इस मामले में, अखबार में एक उद्धरण के माध्यम से प्रतिस्थापित सेवा दी जा रही थी, तो यह वैध रूप से माना जा सकता था कि पूरी शिकायत को अखबार में प्रकाशित नहीं किया जाएगा। कागज और यदि उसमें एक संक्षिप्त विवरण दिया गया था, तो यह आदेश 5, नियम 2, सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त होगा। शायद इस तरह की स्थिति के लिए यह कहा जा सकता है कि वादी का संक्षिप्त विवरण पर्याप्त होगा। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 में "मुकदमे में कार्यवाही में एक कदम" का क्या अर्थ है, इसकी सटीक परिभाषा देना संभव नहीं है। यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। जो बात ध्यान में रखनी चाहिए

---

[1] A.I.R 1941 Lahore 64
[2] A.I.R 1957 Punjab 223
[3] A.I.R 1950 Bom. 127
[4] A.I.R 1958 Punjab 19
[5] A.I.R 1954 Nag.332
[6] A.I.R 1924 Cal.789.

वह यह है कि यदि प्रतिवादी जानता है कि उसके खिलाफ मामला क्या है और उस ज्ञान के साथ, वह मुकदमे में लिखित बयान दर्ज करने के लिए स्थगन मांगता है, तो यह उचित हो सकता है अनुमान लगाया जा सकता है कि यह "मुकदमे की कार्यवाही में एक कदम" होगा। वास्तव में, यह विद्वान वकील द्वारा स्वीकार किया गया था कि यदि याचिकाकर्ता को जो मूल सम्मन भेजा गया था, उसके साथ वादपत्र की एक प्रति भी संलग्न की गई थी और उसके बाद उसने मांगी थी तो वह मामले में एक लिखित बयान दाखिल करने के लिए स्थगन, "मुकदमे में कार्यवाही में एक कदम" होता हैं। उठाया गया मुख्य तर्क यह था कि याचिकाकर्ता मामले की प्रकृति से अनभिज्ञ था, क्योंकि वादपत्र की कोई प्रति उसे नहीं दी गई थी। लेकिन, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, इस मामले की परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता को यह पता नहीं था कि उसके खिलाफ क्या मुकदमा दायर किया गया था। ऐसा होने पर, मैं यह मानूंगा कि इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील द्वारा लिखित बयान दाखिल करने के लिए स्थगन की मांग करना "मुकदमे में कार्यवाही में एक कदम" था। मेरी राय में, नीचे की अदालतों ने सही निर्णय दिया है, जो कानून के अनुरूप है।

(10) परिणाम यह हुआ कि यह याचिका विफल हो गई और खारिज कर दी गई; लेकिन इस मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए; मैं पार्टियों को अपनी लागत स्वयं वहन करने के लिए छोड़ देता हूं।

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उदेश्य के लिए इसके उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उदेशयों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुक्त होगा।

सरू गोयल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

पानीपत, हरियाणा